कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या : 270 /शिविर–निर्वा0–2017 दिनांक : 29 जनवरी,2017

समस्त रिटर्निंग आफिसर,

दिनांक 30/31–01–2017 एवं 01/02–02–2017 को जनपद के राजकीय इण्टर कालेज एवं अम्बेडकर नगर के पास अवस्थित संत एंथोनी कालेज में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण तिथियों पर मतदान कार्मिकों को पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप–12 भी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्हेतु निम्न व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाय:–

1. उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर विधानसभावार **प्रारूप–12** की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु **काउण्टर लगाये जायेगे और कॉउण्टर** पर **विधानसभा क्षेत्र से संबंधित समस्त मतदाता सूची व समस्त** संबंधित **लेखपालों काउण्टर पर** उपस्थित **रहेगें।**
2. प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले मतदान कार्मिक अपनी विधानसभा से संबधित **काउण्टर से ही** प्रारूप–12 **प्राप्त कर आवेदन**–पत्र **संबंधित आर0ओ0 को उपलब्ध करायेगें।** चूँकि उनके पास मतदाता पहचानपत्र नही रहेगा, ऐसी दशा में **प्रारूप–12 में भरी जाने वाली सूचनायें लेखपालों के** माध्यम **से मतदाता सूची के** अवलोक**नोपरान्त उपलब्ध** कराई जायेगी।
3. संबंधित आर0ओ0 अपने **एक** ए0**आर0ओ0 को तद्हेतु नोडल अधिकारी नामित कर दें।** नामित ए0आर0ओ0 की पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि मतदान कार्मिकों से प्रारूप–12 भराकर पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन प्राप्त करें।
4. प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष अगले प्रशिक्षण दिवसों में मतदान कार्मिकों को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराने व **सुविधा केन्द्रों पर** फार्म–13ए **को नियमानुसार प्रमाणित करने व तत्पश्चात् उनके मतदान आदि से संबंधित समस्त** व्यवस्थाये **सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित नामित** ए0आर0**ओ0 का ही होगा।**
5. उपरोक्त समस्त व्यवस्थाओं का प्रभावी **अनुश्रवण संबंधित आर0ओ0 द्वारा किया जायेगा** और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी मतदानकर्मी मतदान करने से वंचित न रहने पायें। इससे एक ओर जहाँ जनपद के मतदान प्रतिशत में अभिवृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी, वही दूसरी ओर पूर्व विधानसभा में तदपरिप्रेक्ष्य में उत्पन्न असहज स्थिति से भी बचा जा सकेगा।
6. समस्त आर0ओ0/ए0आर0ओ0 भारत **निर्वाचन आयोग के** पत्र **संख्या 52/2014-SDR Dated: 07 March, 2014** जो पोस्टल बैलेट की गाइडलाइन से संबंधित है, का भी भलीभाँति अध्ययन कर लें और निर्दिष्ट निर्देशानुसार सतर्कता एवं सजगता से कार्यवाही सुनिश्चत करेगें।

उपर्युक्त निर्देशों का सजग एवं सचेष्ट रहकर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार शिथिलता, उदासीनता एवं अनवधांनता न होने पायें। अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार का विचलन परिलक्षित होने पर संबंधित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक: यथोक्त।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य विकास अधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी,प्रतापगढ़ को अनुश्रवणार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(वि/रा/भू–रा),प्रतापगढ़।
3. प्रभारी अधिकारी, पोस्टल/सर्विस मतदाता,प्रतापगढ़
4. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,प्रतापगढ़ को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।